an>

title: Need to give compensation to people whose lands have been acquired in Parvati Project in Kullu district, Himachal Pradesh by NHPC.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : माननीय सभापति जी, हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिला में एनएचपीसी द्वारा निर्मित पार्वती परियोजना स्टेज 2 और 3 जो 2003 में आरंभ की गई थी, इन परियोजनाओं में जिला कुल्लू छन्नी नाला से 202 बीघा भूमि डंपिंग साइट के लिए अधिगृहीत की गई थी, पुश्तैनी मकान भी थे। उन्हें न तो भूमि अधिग्रहण का मुआवज़ा दिया गया और न ही हिमाचल सरकार और एनएचपीसी के मध्य हुए करार के अनुसार रोज़गार दिया गया। वÂर्ष 2003 में जो भूमि अधिग्रहीत की गई, जिससे 606 परिवार विस्थापित हुए, जिसमें मात्र 13 लोगों को रोज़गार दिया गया और किसानों की उपजाऊ भूमि की कीमत केवल 70 हजार रुपये बीघा के हिसाब से एनएचपीसी पैसा देना चाहती है जो किसानों, बागवानों और विस्थापितों के साथ घोर अन्याय है। हिमाचल सरकार एवं एनएचपीसी के मध्य कई बैठकें हुई जो एकतरफा बैठकें थीं। क्योंकि उसमें स्थानीय निर्वाचित एक ही राजनीतिक दल के लोगों को आमंत्रित किया गया था और जो बैठक में निर्णय लिए गए, वे अभी तक लागू नहीं हुए। बाद में वे निर्णय ही बदल दिए। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि हिमाचल सरकार और एनएचपीसी के मध्य जो अनुबंध हुआ, जो आर.आर. प्लान बोलता है, तथा विस्थापितों, एनएचपीसी पूबंधक वर्ग तथा हिमाचल सरकार के मध्य जो 28/08/2014 को बैठक हुई, उसे धरातल पर लागू करवाने की कृपा करें ताकि किसानों, बागवानों तथा विस्थापितों को राहत मिल सके तथा वÂर्षों से हिमाचल प्रदेश के विस्थापितों के साथ हो रहे अन्याय पर विराम लगे।

माननीय सभापति : श्री शरद त्रिपाठी को श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।